कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग (पी०एम०जी०एस०वाई०) प्रखण्ड कर्णप्रयाग।

Phone/Fax-01363-244843

E-Mail- eepmgsykaranprayag1@rediffmail.com

पत्रांक 334 / चार-प्रावि० / वनभूमि पत्रा० / पी०एम०जी०एस०वाई० / २०२१-२२,

दिनांक 14. / 08 / 2021,

सेवा में.

प्रभागीय वनाधिकारी. केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग, गोपेश्वर ।

विषय:-

जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग हेतु 3. 3025 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सन्बन्ध में (FP/UK/ROAD/21220/2016) |

सन्दर्भ:-

1:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षे0का०) देहरादून के कार्यालय पत्रांक 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 70 / 2019 / एफ0सी0 / 2912, दिनांक 13.03.2020 2:--अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड के पत्रांक 2103/

FP/UK/ROAD/21220/2016, दिनांक 08.02.2021

महोदय.

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है, कि भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक 109, दिनांक 30.05.2020 द्वारा विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या आपको प्रेषित की गई। उक्त अनुपालन आख्या अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड द्वारा अपने उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विधिवत स्वीकृति हेत् भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादुन को प्रेषित की गई थी।

अवगत कराना है, कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षे०का०) देहरादून के कार्यालय पत्रांक ८बी/यू०सी०पी०/०६/७०/२०19/एफ०सी०/२३८३, दिनांक २६.०२.२०२१ (छायाप्रति संलग्न) द्वारा इस पत्र के माध्यम से, राज्य सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित अनुपालन आख्या सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दुवार शर्तो के अनुसार प्रेषित किये जाने एवं वृक्षारोपण योजना के वर्तमान दर की प्रतिलिपि पत्र तथा रू० 20,24,637.00 की संशोधित वृक्षारोपण योजना जिस आधार पर कैम्पा कोष में धनराशि जमा की गई है, की मुल प्रति भारत सरकार को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

अतः उपरोक्तानुसार आपसे अनुरोध है, उक्तानुसार आपके स्तर से वॉछित सूचना अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रस्ताव नोडल स्तर से विधिवत स्वीकृति हेत् भारत सरकार को अग्रसारित किया जा सकें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

ग्रामीण निर्माण विभाग पी०एम०जी०एस०वाई०

प्रखण्ड कर्णप्रयाग्।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:--निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड।

अधीक्षण अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त, लो०नि०वि० गोपेश्वर (मृ०गीचर)।

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग,पी०एम०जी०एस०वाई० प्रखण्ड कर्णप्रयाग्।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग (पी०एम०जी०एस०वाई०) प्रखण्ड कर्णप्रयाग।

Phone/Fax- 01363-244843

E-Mail- eepmgsykaranprayag1@rediffmail.com

पत्रांक 🖊 🗸 🗘 चार—प्रावि० / वनमूमि पत्रा० / पी०एम०जी०एस०वाई० / 2020—21.

दिनांक 🗷 🗸 /05/2020,

सेवा में.

प्रभागीय वनाधिकारी,

केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग,

गोपेश्वर।

विषय:--

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-16 के बकरियाबैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.3025 है0 वन भूमि का ग्राम्य

विकास विमाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

मारत सरकार पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षे०का०) देहरादून के कार्यालय पत्रांक 8बी/यू०सी०पी०/06

/70/2019/एफ0सी0/2912, दिनांक 13.03.2020

महोदय,

जपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा बकरियाबैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित शर्तों के अनुपालन में बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार तीन प्रतियों में आपकी सेवा में विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

अध्यार	ध्यारीपित शती के अनुपालन में बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार तीन प्रतियों में आपकी सवी में विधिवत स्वीकृति हेर्तु प्रीषेत हैं।			
क्र0	शर्त संख्या	अनुपालन आख्या		
स0				
1	2	3		
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त मान्य है।		
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जायेगी।	शर्त मान्य है।		
3	प्रतिपूरक वनीकरण			
क	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 6.6050 है0 अवनत् वनभूमि मल्ला चांदपुर II क0न0 4 पर प्रतिपुरक वनीकरण किया जायेगा	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से होना है।		
ख	कम से कम पचास प्रतिशत "ओक" प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से होना है।		
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप में वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षा तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से होना है।		
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य			
ক	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्याः 202/1995 में LA नम्बर 556, दि० 30.10.2002, 01.08.2003.28.03.2008.24. 04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5—1/1998—एफ0सी० (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5—2/2006—एफ0.सी० ,दिनांक 03.10.2006 एंव 5:3/2007—एफ0सी० दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.3025 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	सेद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 (क) के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 7 से 10 वर्षो तक रखरखाव एवं एन०पी०बी० की देय धनराशि मु0 48,14,405. 00 मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से दि0 27.05.2020 द्वारा Carporation Bank, Lodhi Comlex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi-110003 में जमा की जा चुकी है (छायाप्रति संलग्न)।		
ख	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 (ख) के अनुपालन में एन0पी0बी0 की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है तो बढ़ी हुयी एन0पी0बी0 की धनराशि किये जाने सम्बन्धी "बचनबद्धता प्रमाण पत्र" संलग्न है।		

क्र0	शर्त संख्या	अनुपालन आख्या
स0	un non	3
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेडो की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 06 के अनुपालन में
_	संo प्रस्ताव के अनुसार 846 including 288 saplings पेड़ो से अधिक नहीं	मोटर मार्ग निर्माण हेतु कम से कम वृक्षों का
	होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा	कटान/पातन किया जायेगा। उक्त मार्ग के सरैखण में
	राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	पेडो की कटाई की लागत की धनराशि पृथक से वन
		विभाग के पास जमा कर दी जायेगी।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल	शर्त मान्य है।
	(https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रवन्धन	
	और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित जमा किये जायेगें।	
8	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र	शर्त मान्य है।
	के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	
9	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं	शर्त मान्य है।
	उसके वीचों वीच पीधों की संख्या बढ़ाएगा।	
10	संरक्षित क्षेत्रों /वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज	शर्त मान्य है।
	लगाए जाएंगे।	शर्त मान्य है।
11	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू / एनबीडब्ल्यूएल / एफएसी / आरईसी की सिफारिशों के अनुसार	शत भान्य ह
	प्रयोक्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।	
40	करना। पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण	शर्त मान्य है।
12	पर्यावरण (राखण) आधानवन, १९०० क प्रावधाना के अनुसार, प्रयावसा आनकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	रातिमध्य है।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आटस प्लान नहीं बदला जाएगा।	शर्त मान्य है।
		शर्त मान्य है।
14	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम	शर्त मान्य है।
	अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से प्रयाप्त लकड़ी,विशेषतः	
- 40	वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	शर्त मान्य है।
16	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को	रात मान्य हा
17	परियोजना लागत पर भूमि पर सीमाकंन किया जाएगा। परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के	शर्त मान्य है।
17	अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	रात गांच है।
18	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज	शर्त मान्य है।
, ,	की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित	NO TO A CI
	किया जाएगा।	
19	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य	शर्त मान्य है।
	किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	. • •
20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी	शर्त मान्य है।
	परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की	
	जाएगी।	
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन	शर्त मान्य है।
	होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिर्शानिर्देश फाईल संख्या	
	11-42/2017-FC, दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	
22	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व	र्श्त मान्य है।
	विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	
23	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड की	शर्त मान्य है।
	जाएगी।	
	जाएगा।	

अतः अनुरोध है, कि उक्त बिन्दुओं पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही कर नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षण उत्तराखण्ड को विधिवत स्वीकृति हेतु अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करने की कृपा करें।

अधिचासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई० प्रखण्ड पीर्णप्रयामी

"प्रमाण पत्र"

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा भविष्य में बकरियाबैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग पर यदि एन०पी०बी० की दरों में वृद्धि की जायेगी तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जरूयेगा।

अधिशासी अभियन्ता, र्गण विभाग की ग्रामीण निर्माण विभागा,पी०एम०जी०एस०वाई०

Ministry of Environment, Forest and Climate Change Government of India

3:50:37 PM ==

(n₁₀

🐴 My Account + My Proposals Environment Clearance + My Proposals Forest Clearance + My Proposals Wildlife Clearance + Help +

Proposals received on or after 15th July 2014

9	Demand Letter	Demond Letter Generated Chelan	Demand Letter Generated Challen
3		: 19 Nar 2020 : Corporation Bank : NET/KTGS (Chaten) : 05 May 2020 : 27 Nay 2020	:15 Jan 2020 : Corporation Bank : MET/KTGS (Challan) :16 Jan 2020 :30 Jan 2020
	Payment Detail	Fund Demand Vertilad by Voidal Officer on Bank Name Node of Payment Challan Generated On Transoction Date.	Fund bemand Verified by Model Officer On Bank Hame Mode of Payment Challan Generalzed On Transaction Date
	Payment Status	Paid	S Paid
		04- 04- 20246374-	2 2 2 2
ST	(S	Addica; cat: addipa; c.A.:	Addl CA: CAT: Addl PA: Other Charges:
GETLIST	Amount Paki (in I	0f*, 0f*, 2789763f*, 0f* 0f* 5334405f*,	1118839/-, 04-, 04-, 1542225/-, 04- 04-
	Amount to be Pald/Amount Pald (in Rs.)	CA: PCA: Salety Zone: MRN: Other Charges1: Other Charges2: Other Charges3: Lotal:	CA: PCA: Safety Zone WPV: Other Chargest : Other Chargest :
	Date of IN-PRINCIPLE	13 Mar 2020	17 Dec 2019
	Application tto (itew)	6121220097	6127732015
	Application, No.	ROAD211202016097	ROAD227332017015
	o. Proposal Detail	SPINKNOAD/21220/2016 CONSTUCTION OF BEN'NG BEN'D TO CHATTLE IN BIDON ROBE UNDER PHIESY.	FIJUKROAD/EZ732/2017 Construction of Tharal Kuns Motor Road, Jun-15 to Gurmar Laga Genir Link Motor Road Under Pleick to phase XII
	0		

Help

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर। Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.

Phone / Fax No-01372252149

Email- dfokedarnath@gmail.com

पत्राकः - डा ६ के/

12—1 गोपेश्वर,

दिनांक 16-07-2026

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई, प्रखण्ड कर्णप्रयाग।

विषय:-

जनपद चर्माली के में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत बकरिया वैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.3015 है0(पूर्व में 4.72 है0) वन भूमि का गैर यानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– महोदय, मारत सरकार का पत्रांक 8बी/यूoसीoपीo/06/70/2019/एफo सीo /2912 दिनांक 13-03-2020

उपरोक्त विषय में अवगत करना है कि भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तावित परियोजना निर्माण हेतु सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। जिसके अनुसार क्षतिपूकर वृक्षारोपण तथा एन०पी०वी० की धनशशि निम्नाँनुसार जमा की जानी है:-

कसं0	जिसमें धनराशि जमा की जानी है।	क्षेत्रफल(हैं० में)	दर प्रति है0	कुल धनराशि (रू० में)
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	6.6050 80	3,06,531.00	20,24,637.00
2	एन०पी०वी० (घनत्य .5)	3.3015 <i>ਵੈ</i> ਹ	845000.00	27,89,768.00

उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्ती की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में यथाशीध विधिवत स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

भवदीय,

(अमित कंवर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
 केंदारनाथ यन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर ।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर। 1093 / 12-1 गोपेश्वर,

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,

देहरादून।

विषय:-

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना फेज-16 के अन्तर्गत बकरिया बैण्ड से छिमटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.3025 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास को प्रत्यार्वतन।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षे०का०) देहरादून के कार्यालय पत्रांक 8बी/यू०सी० पी0/05/70/2019/एफ0सी0/2912 दिनांक 13.03.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या 03 प्रतियों में प्रेषित की जा रही है:-

क्र0	शर्त संख्या	अनुपालन आख्या
स0		
1	2	3
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	णर्ज गान्य के।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही	शर्त मान्य है।
	वनभूमि सापा जायगी।	रात नान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण	
क	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 6.6050है० अवनत वनभूमि मल्लाचादपुर 11 क0स0	शर्त मान्य है।
	४ पर प्रातपुरक वनकिरण किया जायगा।	
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार	शर्त मान्य है।
	त्रयालत नजदूर। देश पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और ज्वंभन की	रात गान्य है।
	लागत पारयोजनी प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप में वन विभाग के पास जमा की जारोगी। प्रतिपदक	
	वनाकरण 10 वर्षा तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए	
	प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य	
क	इस सम्बन्ध में भारत के नाननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्याः 202/1995 में LAनम्बर	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 (क) के
	556, 140 30.10.2002, 01.08.2003.28.03.2008. 24.04.2008 ਦੂਰ 09.05.2008 ਰੂਗ ਸੰਤਰਕਾ ਵਾਰਾ	अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 7
	पत्राक 5—1 / 1998—एफ0सी0 (Pt.2) दिनाक 18.09.2003 5—2 / 2006—एफ0 सीठ दिनांक 03.40	से 10 वर्षो तक रखरखाव एवं एन०पी०बी० की
	2006 ९९ 5:3/2007—एफ0सा० दिनाक 05.02.2009 में जारी टिशानिर्देशानमण गाना गाना	ते १० वर्षा पार्व स्वर्थाय एवं एनएपाठबाठ का
	प्रयोक्ती आमकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.3025 हैं0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शद्ध वर्तमान	देय धनराशि मु0 ४८,1४,४०५ मात्र की धनराशि
	मूल्य वसूल करेगी।	वन विभाग के पक्ष में RTGSके माध्यम से दि०
	*	27.05.2020 द्वाराCarporation
	*	Bank, Lodhi Comlex Branch, Block
	*	11, CGO Complex, Phase I, Lodhi
		Road, New Delhi-110003में जमा की
ख	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के	जा चुकी है (छायाप्रति संलग्न)।
	शुद्धं वर्तमान मूल्य की अनिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य	सेद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या ०५ (ख) के
	सरकार द्वारा प्रयोक्ता आभिकरण से वसूला जायगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका शपथपत्र प्रस्तुत	अनुपालन में एन०पी०बी० की वर्तमान दरों में यदि
	करेगा।	वृद्धि की जाती है तो बढ़ी हुयी एन०पी०बी० की
		धनराशि किये जाने सम्बन्धी "बचनबद्धता प्रमाण पत्र" संलग्न है।
		पत्र रालाग ह।

सुलभ संदर्भ हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग पी०एम०जी०एस०वाई कर्णप्रयाग के पञ्च की छायाप्रति संलग्न की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि विशयाँकित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

. संलग्नः- यथोपरि।

भवदीय,

(अमित कंवर) प्रभागीय वनाधिकारी,

केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

संख्या 1093 /12-1 दिनाँकित

अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग पी०एम०जी०एस०वाई कर्णप्रयाग को उनके पत्र के कम

में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित।

(अमित कंवर)

प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

75(9) AB (Made)

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाषः 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL
ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी / यू०सी०पी० / 06 / 70 / 2019 / एफ०सी० / 2912

दिनांकः /3 / 03 / 2020

सेद्रा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),

उत्तराखण्ड शासन,

सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद — चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.3025 हे0 (पूर्व में 4.72 हे0) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या— 452/x-4-19/1(40)/2019 दिनांक 20.06.2019 महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/Road/21220/2016 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा—2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय—समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 27.02.2020 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार — जनपद— चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.3025 है0 (पूर्व में 4.72 हे0) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:—

- 1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
- 2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
- 3. प्रतिपूरक वनीकरणः
 - क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 6.6050 हैं। अवनत वन भूमि मल्ला चांदपुर II क.न. 4 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।
 - ख) कम से कम पचास प्रतिशत 'ओक' प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।
- 4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।
- 5. शुद्ध वर्तमान मूल्य
- (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10. 2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998—एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006—एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007—एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.3025 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी सं0 प्रस्ताव के अनुसार 846 including 288 saplings पेड़ो से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता

अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

7. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई—पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।

8. एफऑरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

- 9. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौंघों की संख्या बढ़ाएगा।
- 10. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
- 11. सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू / एनबीडब्ल्यूएल / एफएसी / आरईसी की सिफारिशों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र /वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।

13. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले—आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

14. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

15. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

16. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर

सीमांकन किया जाएगा।

17. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

18. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा

परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।

19. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

20. केंद्र सरकार की पूर्वानुमित के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य

एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

- 21. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11—42/2017—FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
- 22. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय—समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

23. अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic/in/पर अपलोड की जाएगी।

(सन्नी गोयल) तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।

3. आदेश पत्रावली।